समाचार

सड़क किनारे किया कबाड डम्प, फैलाई गंदगी, लगा 20 हजार रू. का अर्थदण्ड

(शहर में गंदगी करने वालों, सार्वजनिक स्थल पर कबाड़ आदि की डम्पिंग पर निगम कर रहा कार्यवाही)

कोरबा 08 जून 2026 – निगम के राताखार बस्ती में सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थल पर कबाड़ फैलाने, गंदगी करने पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुये 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया व अर्थदण्ड की राशि वसूल की तथा कबाड़ सामग्री तत्काल हटाने के निर्देश दिये। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, नालियों व अन्य स्थलों में गंदगी करने, कबाड़ आदि डम्प करने, निर्माण सामग्री रखने वालों पर निरंतर कार्यवाही जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

नगर पालिक निगम कोरबा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि राताखार बस्ती में सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थल पर कबाड़ सामग्री डम्प की गई थी, जिसके कारण वहॉ पर गंदगी फैल रही थी, आज निगम के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक सुनील वर्मा व वार्ड पार्षद आनंद सिंह राठौर की अगुवाई में निगम अमले ने इस पर कार्यवाही करते हुये 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कराया तथा अर्थदण्ड की राशि वसूल की, साथ ही संबंधित को स्थल से तत्काल कबाड़ हटाने के निर्देश भी दिये।

<u>ओव्हरब्रिज के नीचे पार्किंग एरिया में अवैध कब्जा, हुआ चालान</u> – इसी प्रकार कोरबा पुराने शहर स्थित ओव्हरब्रिज के नीचे वाहन पार्किंग एरिया में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से दुकान का सामान काफी मात्रा में रखा गया था, जिस पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुये चालान काटा तथा रखी गई सामग्री को वहॉ से तत्काल हटाने के निर्देश दिये।

<u>सड़क व सार्वजनिक स्थल पर सामग्री डम्प न करें, गंदगी न फैलायें</u> – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने अपील करते हुये कहा है कि सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थल पर कबाड़ व निर्माण सामग्री डम्प न करें, गंदगी न फैलायें, इससे आवागमन बाधित होता है, गंदगी व्याप्त होती है, आमनागरिकों को परेशानी होती है, वहीं सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डालने, गंदगी करने पर निगम की साफ–सफाई व्यवस्था व शहर की स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस दिशा में निगम अमले द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही हो रही है, अतः असुविधा से बचने के लिये सड़क, नाली, सार्वजनिक स्थल पर कचरा न डालें, कबाड़ न फैलायें, और न ही सी.एण्ड डी.वेस्ट व निर्माण सामग्री आदि डम्प करें।